संख्या-04/2023/115जेएल/22-3-2023

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 14 /02/2023

विषय:- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4510/सामा-1(7)/अब्बास अंसारी/चित्रकूट/2023, दिनांक 11-02-2023 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी, निवासी-यूसुफ नगर, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, कासगंज स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट/कासगंज।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट/कासगंज।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, चित्रकूट से जिला कारागार, कासगंज में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- जिला कारागार, कासगंज ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in